

## न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाशा सं० 194/38-3-2014-07(पू०वे०)/04, दिनांक: 28.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरें एवम् देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/8 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में विन्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपमोक्षता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जनवरी, 2015 से जून, 2015 के औसत अंक 256 ( दो सौ छपत्ता) पर दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित वृष्टान्त की भांति गणना करके देय होगा—  
 वृष्टान्त :- रुपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपमोक्षता मूल्य सूचकांक 256 पर दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगा—  
 (256-216)

$$\times 5750 = \text{रु० } 1084.81 \text{ प्रतिमाह}$$

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं—

क्र०	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रुपये में)		दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक	
			दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 30.09.2015 तक	दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक	कुल मजदूरी(रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	984.95	1064.81	6814.81	262.11
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	1083.45	1171.30	7496.30	288.32
3	कुशल	7085.00	1213.63	1312.04	8397.04	322.96

नियोजनों के नाम :-

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टापर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- निष्पान उद्योग।
- वासिल पेपों (पैरेटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आर्यल पम्प।
- डैरी और मिल्क डेरी।
- सिले सिलार्वे कंपाउंड की विनिर्माणशाला।
- शॉन तटवन्ध के निर्माण और अनुसूचन, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन सामान एजिस्ट्रीकल कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवम् प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- डलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शीपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- घर्म शौचनशाला और घर्म विनिर्माण शाला।
- घर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी संकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक चारधारे भी शामिल हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।
- घर्मशाला।
- वाशिकी (कारेस्ट्री) लद्दा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- दुकान।
- वाणिज्य अभिषिक्तान।
- चायल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- तेल मिल।
- लोक मोटर परिवहन।
- वाजिक परिवहन कर्मशाला।
- आटोमोबाइल रिपैरिंग कर्मशाला।
- सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संकेतियों।

श्री विक्टर

29-09-2015

34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. थिऊन के कार्य।
36. दिखारलाई उद्योग।
37. आइसक्रीम/ आइस्क्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिरकुट विनिर्माणशाला।
39. बर्न विनिर्माणशाला।
40. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
41. लाप्टी और घुलाई अविष्धान।
42. जिल्लसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पावरी, सिरेमिक्स या रिफ्रेक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा छपाई।
48. शिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
50. बलब।
51. हथकरघा (शिल्क की साड़ी की बुनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा घंने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53. ऊनी कम्बल बनाने के अविष्धान।
54. खाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति बालित करवा उद्योग।
57. छोटा (मिनिएवर) बल्ब एवम् कॉच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट भट्ठा उद्योग।

( ए०के० गुप्ता )  
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं०- 2727-55/प्रवर्तन०-(एम०डब्ल्यू०) / 15  
प्रतिलिपि-

दिनांक 24-9-2015

1. समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराएँ तथा श्रिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मींगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
2. अनुसंधिव उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वैज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
6. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में नि:शुल्क प्रकाशनार्थ।

( ए०के० गुप्ता )  
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

100

1